सं. 14014/2/2009-स्था.घ

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 9 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुकंपा आधार पर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को प्रदान किए गए पूर्व-संशोधित एस वेतनमान का सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) में वेतन-निर्धारण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 16.01.2013 के का.ज्ञा.सं. 14014/02/2012.स्था.(घ) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के विषय पर समेकित अनुदेश समाविष्ट हैं। ये अनुदेश ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में, जो प्रशिक्षुओं के शैक्षणिक मानकों को तत्काल पूरा नहीं करते है, निम्नलिखित रूप में प्रावधान करते हैं:-

"अपवादिक परिस्थितियों में सरकार, तत्काल न्यूनतम शैक्षिणिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती करने पर विचार कर सकती है। सरकार उन्हें प्रशिक्षु के रूप में लगा सकती है, जिन्हें भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल कर लेने पर ही नियमित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान तथा सरकार में कर्मचारी के रूप में आमेलित होने से पूर्व, इन प्रशिक्षुओं की परिलब्धियां किसी ग्रेड वेतन के बिना 4440-7440 रूपए के 1 एस वेतन बैंड के न्यूनतम द्वारा अभिशासित की जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें सभी लागू भत्ते जैसे- मंहगाई, भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता; स्वीकार्य दरों पर प्रदान किए जाएंगे। इनकी गणना, किसी ग्रेड वेतन के बिना न्यूनतम-1 एस वेतन बैंड पर की जाएगी। भविष्य में भर्ती किए जाने पर इन व्यक्तियों द्वारा 1 एस वेतन बैंड में व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य हेतु सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी नियमित सेवा उन्हें 1800 रूपए के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200/-रुपए के वेतन बैंड पीबी-1 में रखे जाने के पश्चात् ही आरंभ होगी।"

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के अधीन नियुक्त हुए प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए किसी ग्रेड वेतन वाले 4440-7740/-रुपए के 1 एस वेतन बैंड के लिए किसी स्थानापन्न वेतनमान का प्रावधान नहीं किया है। इस मामले को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था तथा सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर शुरू किए गए वेतन मैट्रिक्स का लेवल-1, संशोधन-पूर्व 1 एस वेतनमान का स्थानापन्न होगा। सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 7 के अनुरूप 1 एस वेतनमान द्वारा अभिशासित होने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेवल-1 में रखने के लिए 2.57 के फिटमैंट फैक्टर (निर्धारण-कारक) का प्रयोग करते हुए संशोधित किया जाए। संशोधन-पूर्व 1 एस वेतनमान में 7000/- रुपए के संशोधन-पूर्व वेतन से कम सभी संशोधन-पूर्व वेतन स्तरों पर बंचिग (एक साथ करने) के लाभ का निर्धारण करने के लिए ठीक उसी तरह विचार नहीं किया जाएगा जैसे कि 'बंचिग'

(एक साथ करने) के कारण हुए लाभ के लागू होने पर इस विभाग के दिनांक 03.08.2017 के का.ज्ञा. द्वारा स्पष्ट किया गया है।

4. यह दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगा।

जी.जयंती

(जी.जंयती)
संयुक्त सचिव (ई-1)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
7. पंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
11. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध कार्यालय
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13 सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
16. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग
18. सुविधा केंद्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रातियां)
19. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए
20. स्थापना अधिकारी (20 प्रतियां)